न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 468/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/722

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.हरकु देवी पुत्री खेमाराम 2.पुखराज पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी गंगाणियों की ढाणी, कालेवा,तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.खीमाराम पुत्र लिखमाराम 2.मघाराम पुत्र लिखमाराम 3.अशोक कुमार पुत्र वागाराम 4.गुमनाराम पुत्र हरदासराम 5.डुंगराराम पुत्र दमाराम 6.तोगाराम पुत्र हरचन्द 7.दुर्गाराम पुत्र आदुराम 8.देवाराम पुत्र हरदास 9.नरेन्द्रकुमार पुत्र वागाराम 10.पनाराम पुत्र दमाराम 11.प्रहलादराम पुत्र वागाराम 12.पनाराम पुत्र इसराराम 13.पारूदेवी पत्नी आदूराम 14.भीखाराम पुत्र आदूराम 15.मोहनलाल पुत्र ईसराराम 16.लक्ष्मणसिंह पुत्र वागाराम 17.लेहरो पत्नि दम्माराम 18.वाली पत्नी वागाराम 19.हनुमानराम पुत्र लाधाराम 20.अचलाराम पुत्र रूपाराम 21.अणसी पत्नी भंवरलाल 22.ओमाराम पुत्र चिमाराम 23.किशनाराम पुत्र चिमाराम 24.खेमाराम पुत्र चिमाराम 25.गवरी पत्नी वगताराम 26.चुनी पत्नी अचलाराम 27.भरतकुमार पुत्र धीराराम 28.भंवरलाल पुत्र वगताराम 29.लच्छू पत्नी धीराराम 30.हुकमाराम पुत्र धीराराम 31.अणसी पत्नी लच्छाराम 32.अमराराम पुत्र अचलाराम

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 468/2025
हरकूदेवी बनाम खीमाराम वगैरा

33.ईशराराम पुत्र अचलाराम
34.उदाराम पुत्र मोटाराम
35.कमलादेवी पत्नी हड़मानराम
36.किशनाराम पुत्र अचलाराम
37.गेनाराम पुत्र मूलाराम
38.गोमी पत्नी सोनाराम
39.चेतन पुत्र रावताराम
40.जगदीशप्रसाद पुत्र हड़मानराम
41.जवाराराम पुत्र पदमाराम
42.पूनमाराम पुत्र लच्छाराम
43.प्रमोदकुमार पुत्र हड़मानराम
44.पोकरराम पुत्र पदमाराम
45.मगाराम पुत्र लच्छाराम
46.मगाराम पुत्र अचलाराम
47.मेराराम पुत्र मूलाराम
48.रामाराम पुत्र पदमाराम
49.सोनाराम पुत्र अचलाराम
50.हीराराम पुत्र पदमाराम
51.अमराराम पुत्र भगाराम
52.बाबुराम पुत्र भगाराम
53.हीराराम पुत्र नथाराम
54.कुम्भाराम पुत्र वेहनाराम
जाति जाट,निवासी गंगाणियों की ढाणी, कालेवा तहसील पाटोदी
55.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी,जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 19
3.विप्रार्थी संख्या 1 से 18 व 20 से 55 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 468/2025
हरकूदेवी बनाम खीमाराम वगैरा

आदेश

दिनांक 24/04/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि **ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 441 क्षेत्रफल 1.7240 हैक्टेयर,खसरा संख्या 475 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टेयर व खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 0.6151 हैक्टेयर भूमि** अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा **ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 441 क्षेत्रफल 1.7240 हैक्टेयर,खसरा संख्या 475 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टेयर व खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 0.6151 हैक्टेयर** भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री वीराराम प्रजापत द्वारा विप्रार्थी संख्या 19 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया था,जो शामिल पत्रावली है। विप्रार्थी संख्या 1 से 18 व 20 से 55 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 441 क्षेत्रफल 1.7240 हैक्टेयर,खसरा संख्या 475 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टेयर व खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 0.6151 हैक्टेयर** भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 441 क्षेत्रफल 1.7240 हैक्टेयर,खसरा संख्या 475 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टेयर व खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 0.6151 हैक्टेयर** भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 19 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि प्रार्थीगण व विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओ को लेकर कोई विवाद नही है,मौके पर पुरानी माढे कायम है। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे कभी भी दंखलदान्जी नही की गई है,जबकि प्रार्थी आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही भी एकपक्षीय करवाए गई है,जो विप्रार्थी को बिना सूचित किए एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अलावा विप्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की भी नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन चल रहा है,जो दोनो प्रकरणों का एक साथ न्याय निर्णयन किया जाना आवश्यक है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम **गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 441 क्षेत्रफल 1.7240 हैक्टेयर,खसरा संख्या 475 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टेयर व खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 0.6151 हैक्टेयर**,भूमि प्रार्थीगण खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-**धारा 128 सीमा विवाद**-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 16.11.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

-ःआदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रुप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम **गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 441 क्षेत्रफल 1.7240 हैक्टेयर,खसरा संख्या 475 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टेयर व खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 0.6151 हैक्टेयर**,भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है।

24/04/2026

(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/04/2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

24/04/2026

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा